

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 186/2024
उनवान

2. खातू बनाम 2. तहसीलदार रामसर।
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम
आदेश दिनांक 28.11.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 204/90 रकबा 4.2087 हेक्टैयर एवं खसरा संख्या 87 रकबा 4.1763 हेक्टैयर मौजा लधे का पार पटवार मण्डल सज्जन का पार में आये हुये है। । उक्त खसरों के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जमाबंदी ओनलाईन करते समय खातूदेवी पत्नी मीरखान गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीनी के आधार, रासन अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम खातू पत्नी मीरखान दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर एवं सलगन हल्का पटवारी सज्जन का पार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीनी प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 204/90 रकबा 4.2087 हेक्टैयर एवं खसरा संख्या 87 रकबा 4.1763 हेक्टैयर मौजा लधे का पार पटवार मण्डल सज्जन का पार में राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जमाबंदी ओनलाईन करते समय खातूदेवी पत्नी मीरखान गलत दर्ज हो गया ह इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सही नाम खातू पत्नी मीरखान दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर
दिनांक 28.11.2024

क्रमांक : रीडर/2024/ 3698-3700
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी खातू ।
3. पटवारी सज्जन का पार।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर